Seventeenth Loksabha

>

Title: Need to provide houses to jhuggi-jhopri dwellers residing along railway lines in Mumbai, Maharashtra-laid.

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): माननीय उच्चतम न्यायालय ने राजधानी दिल्ली में 140 किलोमीटर तक रेल पटरियों के किनारे बसी 48 हजार झुग्गी-बस्तियों को तीन माह के भीतर हटाने का निर्देश दिया था, लेकिन हमें प्रसन्नता है कि केन्द्र सरकार के प्रयासों से राजधानी दिल्ली के रेलवे ट्रैक के आसपास की 48 हजार झुग्गियों को फिलहाल हटाया नहीं जाएगा ।

यह सही है कि रेलवे का विकास होना चाहिए, लेकिन यह भी सही है कि झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों का आधा जीवन इनके उजाड़ने और बनाने में ही गुजर जाता है । अतः इन लोगों को उजाड़ने से पहले पक्का मकान दिया जाना चाहिए । हमारे लोकप्रिय ऋषितुल्य प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के केन्द्र में सत्ता में आने से पूर्व झुग्गीवालों के लिए सही पौलिसी नहीं बनाई गई । लेकिन, यह सभी देशवासियों के लिए प्रसन्नता की बात है कि वे वर्ष 2017 से सभी आवास विहीन नागरिकों को पक्का मकान वर्ष 2022 तक सुलभ कराए जाने हेतु निरंतर कहते चले आ रहे हैं और उनके मार्ग-निर्देश न में इस दिशा में सकारात्मक कार्य भी सम्पन्न हो रहे हैं । इस संबंध में मेरा अनुरोध है कि केन्द्रीय स्तर पर राज्य सरकारों एवं रेल मंत्रालय से विचार-विमर्ष करके देश में विशेषतः महाराष्ट्र राज्य के मुंबई महानगर की रेलवे पटरियों के किनारे बसी अन्य झुग्गी-झोंपड़ियों के पुनर्वास हेतु एक कारगर योजना बनाकर उन्हें आवास की सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु भी आवश्यक पहल की जाए, जिससे उन्हें स्थायी आवास मिल सके और हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा देश और विदेश की धरती से गरीबों के प्रति व्यक्त किए गए उदगार और भावना तथा उनकी वर्ष 2022 तक सभी लोगो को पक्के घर उपलब्ध कराए जाने की महत्वाकांक्षी योजना को भी साकार करने में मदद मिल सके ।